कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक – 1880 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 12-11- 2021.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पैय्या पौड़ी मोटर मार्ग के विस्तार किमी0 9.400 से 16.400 तक चौड़ीकरण / सुदृढीकरण हेतु 4.335 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0. FP/UK/ROAD/67274/2020.

संदर्भः– आपका पत्रांक 83 / FP/UK/ROAD/67274/2020 दिनांक 07.07.2021।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 1736 / 12–1 दिनांक 28.10.2021 से प्राप्त हुई है कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव ऑन लाईन से प्रेषित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

संलग्न– प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964-225234

पत्रांकः– 1736 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 28 अक्टूबर, 2021।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घो0 संख्या 901/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पैय्या पौड़ी मोटर मार्ग के विस्तार किमी0 9.400 से 16.400 तक चौड़ीकरण /सुदृढ़ीकरण हेतु 4.335 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 83/FP/UK/ROAD/67274/2020 देहरादून दिनांक 07.07.2021 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 1875/13सी दिनांक 07.10.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संबंध में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव में कमियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत हैः–

क्र. सं0	लगाई गई आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए विषय सूची संलग्न करें।	पृष्ठ संख्या अंकित कर विषय सूची संलग्न कर दी गई है।
2	प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–2 बिन्दु–(VI) में हरियाली का घनत्व अंकित नहीं किया गया है।	हरियाली का घनत्व अंकित कर अपलोड कर दिया गया है।
3	वन अधिकार अधिनियम से संबंधित जिलास्तरीय समिति के प्रपत्र में तिथि अंकित नहीं की गई है।	प्रपत्र में तिथि अंकित कर अपलोड कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव में वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाला प्रपत्र भाग–3 संलग्न नहीं किया गया है।	प्रपत्र संलग्न कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना वर्तमान दरों के अनुसार नहीं है। कृपया संषोधित सी0ए0 योजना संलग्न करें। प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र –15.5 में प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना वर्तमान दरो पर तैयार कर दी गई है। प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र 15.5 में प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर करा दिये गये हैं।
6	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–18 में परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने के प्रमाण पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं किये गये। कृपया प्रमाणपत्र में हस्ताक्षर करवाकर प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रमाणपत्र में हस्ताक्षर कर अपलोड कर दिया गया है।

	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र –19 में परियोजना की से दूरी राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य 1.10 किमी0 अंकित की गई है। उक्त के क्रम में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की संस्तुति ऑनलाईनपार्ट–।। में अपलोड की गई है, परन्तु हार्ड प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गयी है। उक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रमाणपत्र संलग्न कर दिया गया है।
8	भू–वैज्ञानिक की आख्या प्रस्ताव में संलग्न नही है। कृपया संलग्न करें।	भू–वैज्ञानिक आख्या संलग्न कर दी गई है।
9	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–33 में लाभान्वित होने वाले ग्रामों की संख्या एवं परिवार की संख्या का योग त्रुटिपूर्ण है।	ग्रामों की संख्या एवं परिवार की संख्या का योग सही कर दिया गया है।

अतः उक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर आपके पत्र सं0 415/12–1 दिनांक 28.07.2021 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन के साथ 4 हार्डप्रतियों सहित सेवा में प्रेषित।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।